उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।

(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–41/2022–23

सरकार

–बनाम–

राष्ट्रपति प्रसाद साहु वगै0

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2134/अप0शा0 दिनांक – 02.08.2022 के द्वारा वादी श्री रामनाथ राय पे0–श्री भगसागर राय सा0–नारायणपुर थाना–तरैया जिला–छपरा बिहार वर्त्तमान जिला खनन पदाधिकारी गुमला के कम्प्यूटरकृत आवेदन के आधार पर पालकोट थाना काण्ड सं0–45/2022 दिनांक–05.07.2022 धारा–4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियम–2004 एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम–1957 के तहत् अवैद्य रुप से बालू का उठाव एवं परिवहण करने के आरोप में जप्त (1) ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH07K-7823 के मालिक राष्ट्रपति प्रसाद साहु पे0–रामचन्द्र साहु सा0–सकरौली भदौली थाना–सिसई जिला–गुमला (2) ट्रैक्टर निबंधन सं0– JH07H-1807 के मालिक रमजान खान पे0–बेचैन खान सा0–सीसी थाना–गुमला जिला–गुमला (3) चेचिस नं0–MBNTFAEXANRL00177 के मालिक मीर जौहर पे0–मीर फजीर सा0–वार्ड नं0–09 डुमरटोली खडियापाड़ा थाना–गुमला जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी सं0–01 के द्वारा लिखित बहस समर्पित किया गया है, तथा उत्तरवादी सं0–02 एवं 03 अनुपस्थित रहने के कारण उनका पक्ष को नही सुना गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि (1) ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH07K-7823 के मालिक राष्ट्रपति प्रसाद साहु पे0–रामचन्द्र साहु सा0–सकरौली भदौली थाना–सिसई जिला–गुमला पालकोट थाना काण्ड सं0–45/2022 में अवैध रुप से बालू का उठाव एवं परिवहन करने के आरोप में जप्त किया गया है। जप्त वाहन के मालिक इस काण्ड में जुर्माना राशि देने को तैयार है, तथा उक्त वाहन को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय संशोधित) नियमावली 2017, के नियम–54(5) में खनिजों के मूल्य के स्थान पर खनिजों के मूल्य के दोगुणी राशि के बराबर दण्ड वसूलनीय है।

अतः जिला खनन पदाधिकारी गुमला को निदेशित किया जाता है कि पालकोट थाना काण्ड सं0–45/2022 में जप्त (1) ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH07K-7823 में पायी गयी खनन वस्तुओं के मात्रा के आधार पर दण्डनीय राशि वसूल करते हुए सरकारी कोष में उक्त राशि को जमा कर दी जाय।

शेष इस काण्ड में जप्त वाहनों (2) ट्रैक्टर निबंधन सं0– JH07H-1807 के मालिक रमजान खान पे0–बेचैन खान सा0–सीसी थाना–गुमला जिला–गुमला (3) चेचिस नं0–MBNTFAEXANRL00177 के मालिक मीर जौहर पे0–मीर फजीर सा0–वार्ड नं0–09 डुमरटोली खडियापाड़ा थाना–गुमला जिला–गुमला को The Jharkhand Minerals (Prevntion of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 एवं Rule 11 (V) "Any

minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के तहत अवैध रुप से बालू का उठाव एवं परिवहन करने के आरोप में N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त, जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं०– JH07H-1807 एवं चेचिस नं०–MBNTFAEXANRL00177 को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दें।

लेखापित एवं संशोधित

24.11.22
उपायुक्त,
गुमला

24.11.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.12.31 13:06:56 +05:30
Location: 192.168.5.105